


3	This proposal also involves translocation of a large number of roadside trees. Committee reiterated the demand it has been raising from SFD and NHAI for status report on the translocated trees in several previous projects of NHAI. Committee expressed its great displeasure on the fact that both SFD and NHAI have been disregarding the authority of REC by neglecting and lying aside the request of translocation report of committee for more than nine months now. So, once again, detailed report related to earlier approved NHAI project in which large number of trees proposed for translocation may be provided to this office to check viability of translocation.	Details of Translocated Trees as obtained from RO - Patna, NHAI, was forwarded to APCCF (CAMP), Patna and DFO Mithila, vide this Office e-mail dated- 26.10.2023 and the same is again attached herewith for kind consideration.
4	कमेटी ने राज्य सरकार से यह भी अनुग्रह किया है कि जब तक बिंदु संख्या (iii) में वांछित प्रतिवेदन प्रयोज्यता अभिकरण, NHAI, द्वारा प्रस्तुत न कर दिया जाये, इनसे संबंधित किसी भी वन-प्रत्यावर्तन प्रस्ताव को केंद्र सरकार को अग्रप्रेषित न किया जाये।	

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए विषय वन प्रस्ताव (FP/BR/ROAD/154991/2022) हेतु अग्रतर कार्यवाही अपने स्तर से यथा-शीघ्र करने की कृपा की जाय।

संलग्नक:- यथोक्त

विश्वासभाजन,


08-11-2023
(रूपेश कुमार)

उप-महाप्रबंधक-सह-परियोजना निदेशक

- प्रतिलिपि:- 1. क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को सादर सूचनार्थ।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ।
3. डी०पी०आर० सलाहकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

सं० भा०रा०रा०प्रा०/पकाई-सुपौल / Forest / 48 / 2023 /

दिनांक- 08.11.2023

ज्ञात हो कि पूर्व में संदर्भ (1) के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, मि०व०प्र०, दरभंगा के द्वारा सूचित किया गया था कि " भारतमाला परियोजना पैकेज- 1 संक्सन-1 उमगाँव-कलुआही (0.000-21.610 किमी० NH227L) एवं संक्सन-2 साहरघाट-रहिका (0.000-26.135 किमी० NH227I) उक्त सड़क सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है" तथा संदर्भ (2) के माध्यम से 'पैकेज-3 विदेश्वर-स्थान-भेजा (0.000-25.915 कि०मी० NH527A), उक्त सड़क विदेश्वर स्थान से लक्ष्मीपुर चौक तक सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है।" तदोपरान्त, इस कार्यालय के पत्रांक 660 दिनांक - 22.04.2022 द्वारा वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया था।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा द्वारा सूचित किये गये विषय वन प्रस्ताव हेतु अधिसूचित तथा गैर अधिसूचित पथाशों का विवरण निम्न है।

क्र०	परियोजना खण्ड	अधिसूचित / गैर अधिसूचित	अभ्युक्ति
1	पैकेज-1 खण्ड-1 (उमगाँव-कलुआही NH227L)	अधिसूचित: उमगाँव से कलुआही।	व०प्र०प०, मि०व०प्र०, दरभंगा का पत्रांक- 601 दिनांक- 24.03.2022
2	पैकेज-1 खण्ड-2 (साहरघाट-रहिका, NH227I)	अधिसूचित: साहरघाट से बसवरिया एवं पन्नामोड़ से बेनीपट्टी। गैर अधिसूचित: बसवरिया से धनौजा।	व०प्र०प०, मि०व०प्र०, दरभंगा का पत्रांक- 2058 दिनांक- 30.10.2023
3	पैकेज-3 (विदेश्वर स्थान-भेजा, NH527A)	अधिसूचित: विदेश्वर स्थान से लक्ष्मीपुर चौक।	व०प्र०प०, मि०व०प्र०, दरभंगा का पत्रांक-111 दिनांक- 29.01.2022

उपरोक्त के आलोक में विषयांकित वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/BR/ROAD/154991/2022) में संशोधन हेतु संदर्भ (7) के माध्यम से डी०पी०आर० सलाहकार को अग्रसारित किया गया था, तथा डी०पी०आर० सलाहकार के पत्रांक- 1886 दिनांक- 08.11.2023 के माध्यम से वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर पृच्छाओं के संबंध में संशोधित KML File, संशोधित Forest Area सूची, संशोधित Cost Benefit Analysis, संशोधित Translocation Scheme, संक्सन-2 अधिसूचित वृक्षों की सूची संलग्नित तथा विवरणी निम्नलिखित है।

S.No	Observation	Remarks
1	The committee examined the KML file of the proposal and was surprised to find that the roadside protected forest which is proposed for diversion is highly infested with encroachment as several houses, permanent structures, habitations are visible on the satellite imagery of the area. Therefore, the committee asked SFD, Bihar to carry out a joint inspection by the concerned DFO & PD, PIU, NHAI to explain the cause of encroachment and to define the fool-proof process of encroachment eviction. DFO also needs to explain the action/effort taken by him/her against the encroachment.	Vide DFO Darbhanga letter no. 1950 dated- 12.10.2023, joint site visit was scheduled on 16.10.2023 and the same was completed with representatives of NHAI, PIU-Supaul and Forest Department. During the Joint site visit on 16.10.2023, encroachments have been found at few locations, especially in Market & Built-up areas, which shall be removed with the help of District Administration. The issue of encroachment has also been discussed during the meeting held with District Administration and sincere efforts are being made to remove the encroachments. Revised KML files are attached herewith.
2	The committee also wanted to know if there is any R&R plan for the intended eviction. If yes, then R & R plan may also submit to this office.	There is no provision for R&R Plan for encroachments as per NH Act, 1956.

Lia



भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई (सुपौल), मधुबनी

पंडौल बाजार, मधुबनी-सकरी रोड, समीप इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप, मधुबनी-847234

Project Implementation Unit, Supaul at Madhubani

Pandaul Bazar, Madhubani-Sakri Road, Near IOCL Petrol Pump, Madhubani -847234

ई-मेल/E-mail: piusupaul@nhai.org, piusupaul@gmail.com, टेली/Tele:-06276-291005



भारतमाला
एक ही रास्ता एक ही आसना



सं० भा०रा०रा०प्रा०/पकाई-सुपौल/Forest/48/2023/462

दिनांक- 08.11.2023

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा),
- सह नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषय: भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमगाँव-कलुआही (0.000-21.610 किमी0 NH227L), साहरघाट-रहिका (0.000-26.135 किमी0 NH227J) पथ, एवं विदेश्वर-स्थान-भेजा (0.000-25.915 किमी0 NH527A) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण बिहार राज्य अन्तर्गत- वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव (FP/BR/ROAD/154991/2022) के संबंध में।

- संदर्भ:-**
1. व0प्र0प0, मि0व0प्र0, दरभंगा का पत्रांक-111, दिनांक- 29.01.2022
 2. व0प्र0प0, मि0व0प्र0, दरभंगा का पत्रांक-601, दिनांक- 24.03.2022
 3. IRO, Ranchi, MoEF&CC, Minutes of Meeting (MoM) दिनांक- 26.09.2023
 4. व0प्र0प0, मि0व0प्र0, दरभंगा का पत्रांक-1950, दिनांक- 12.10.2023
 5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कैम्पा, पटना का पत्रांक- 743 दिनांक- 19.10.2023
 6. व0प्र0प0, मि0व0प्र0, दरभंगा का पत्रांक- 2058 दिनांक- 30.10.2023
 7. इस कार्यालय का पत्रांक- 451 दिनांक- 31.10.2023
 8. डी0पी0आर0 सलाहकार का पत्रांक- 1886 दिनांक- 08.11.2023

महाशय,

कृपया विदित हो कि भारतमाला परियोजना मधुबनी जिलान्तर्गत उमगाँव-कलुआही (0.000-21.610 किमी0 NH227L), साहरघाट-रहिका (0.000-26.135 किमी0 NH227J), एवं विदेश्वर स्थान-भेजा (0.000-25.915 किमी0 NH527A) पथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव IRO, Ranchi, MoEF&CC के 67वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया था तथा समीक्षा के उपरांत चार बिन्दुओं पर संदर्भ (5) के माध्यम से पृच्छाओं के निराकरण करने की माँग की गई थी।

इसी क्रम में संदर्भ (4) के माध्यम से वन प्रमंडल पदाधिकारी, मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक- 16.10.2023 को सम्पन्न किया गया तथा संदर्भ (6) के माध्यम से सूचित किया गया है कि " निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि वन भूमि अपयोजन हेतु प्रस्तावित स्थल में कुछ हिस्सा गैर अधिसूचित भूमि है।" तथा अनुरोध किया गया है कि वनों के क्षेत्र पदाधिकारी, बेनीपट्टी द्वारा समर्पित संशोधित प्रतिवेदन के आलोक में वन भूमि अपयोजन हेतु संशोधित प्रस्ताव समर्पित किया जाय।

पृष्ठ 1/3

End